Alberta

वक्तव्य

विधेयक 71 पारित: मंत्री कॉपिंग का वक्तव्य

21 अप्रैल 2021

श्रम और आव्रजन मंत्री (Minister of Labour and Immigration) जेसन कॉपिंग ने विधेयक 71: रोजगार मानक (COVID टीकाकरण अवकाश) संशोधन अधिनियम, 2021 के पारित होने पर निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया है:

"जैसे-जैसे हमारे प्रांत के टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत और भी अधिक एल्बर्टावासियों को टीके लगाए जा रहे हैं, हम जीवन और आजीविकाओं के संरक्षण के लिए लगातार कार्यवाही करना जारी रख रहे हैं।

"एल्बर्टा सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए रोजगार मानक कोड (Employment Standards Code) में संशोधन के लिए कानून पारित किया है कि कार्यरत एल्बर्टावासी COVID-19 का टीका लगवाने के लिए वेतनीय, कार्य-संरक्षित अवकाश का उपयोग कर सकें।

"इस कानून को पारित करके हम एल्बर्टा के काम-काजी कर्मचारियों को अपना टीकाकरण करवाने में उनके सामने आने वाले अवरोधों को कम कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी एल्बर्टावासी को टीका लगवाने और खाने की मेज पर भोजन रख पाने के विकल्पों के बीच चयन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

"21 अप्रैल से आरंभ करके प्रत्येक कार्यरत एल्बर्टावासी COVID-19 के टीके की प्रत्येक खुराक प्राप्त करने के लिए अधिकतम तीन घंटों के वेतनीय, कार्य-संरक्षित अवकाश का उपयोग कर सकता है। सभी कर्मचारी पात्र हैं, चाहे उनकी रोजगार की पदस्थिति या कार्यकाल कुछ भी हो।

"हम सभी कर्मचारियों और कार्य-नियोक्ताओं से COVID-19 टीकाकरण के लिए अवकाश समयबद्ध करने के उद्देश्य से साथ-मिलकर काम करने का आग्रह करते हैं।

"ऐसा करना सही बात है और हम एल्बर्टावासियों के जीवन और आजीविकाओं का संरक्षण करते हुए अपना आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए साहसिक कार्यवाही करना जारी रखेंगे।"

संबंधित जानकारी

- वेतनीय COVID-19 टीकाकरण अवकाश देना
- विधेयक 71: रोजगार मानक (COVID-19 टीकाकरण अवकाश) संशोधन अधिनियम, 2021
- COVID-19 टीकाकरण के बारे में जानकारी

मीडिया पूछताछ

जोसेफ डाउ
780-983-8714
प्रेस सचिव, श्रम और आव्रजन (Press Secretary, Labour and Immigration)